कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना करनैलगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मोलहू पुत्र मेहीलाल नि0 वासुदेवपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–276/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2023

थाना छपिया पुलिस ने नशीली गोलियों के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 21.09.2023 को थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर तेजपुर गेट के पास से अभियुक्त पवन कुमार वर्मा उर्फ हनुमान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 197 अल्प्राजोलम की टेबलेट व परशुरामपुर मार्ग से अभियुक्त मूसड़ा उर्फ सलामन उर्फ अशफाक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 234 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पवन कुमार वर्मा उर्फ हनुमान पुत्र मंगरे वर्मा नि0 ग्राम भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मूसड़ा उर्फ सलामन उर्फ अशफाक पुत्र आशिक अली नि0 अगयामाफी थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–277/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–278/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 421 अल्प्राजोलम टैबलेट।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 रवि प्रकाश यादव मय टीम।
उ0नि0 चन्द्रशेखर प्रकाश सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.09.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मोहनीपुरवा जाने वाली सड़क से अभियुक्त रिजवान उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध 14 पत्ते में कुल 140 गोली अल्प्राजोलम टेबलेट (नशीली गोली) बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रिजवान उर्फ छोटू पुत्र जुबेर निवासी पठानटोला वार्ड न0 7 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-471/23, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 14 पत्ते में 140 गोली अल्प्राजोलम बरामद।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 सुनील कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य

प्रेस नोट

मीडिया सेल, जनपद गोण्डा

दिनांक 21.09.2023

गोवध निवारण अधि0 के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मु0अ0स0 409/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित में प्रकाश में आये अभियुक्त/अभियुक्ता 01. इन्सान अली 02. खातून को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

01. इन्सान अली पुत्र मुन्नी निवासी अकबरअली पुरवा मौजा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा
02. खातून पत्नी गरीबे निवासी अकबरअली पुरवा मौजा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-405/23, धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 किशोर पासवान मय टीम।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.09.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोंडा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 व थाना करनैलगंज पुलिस ने 02, थाना धानेपुर से 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. थाना छपिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मोलहू पुत्र मेहीलाल नि0 वासुदेवपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-276/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।